संख्या-44 /2023/ —— /001-1125-26-3-2023-CN-1642641

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान
भागीदारी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

**समाज कल्याण अनुभाग-3** **लखनऊ:दिनांक 18 अप्रैल 2023**

**विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-81 में अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सांख्यिकी अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ के पत्रांक-13/1-42/2022-23/बजट/शो0प्र0सं0/लखनऊ दिनांक-10-04-2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-231/2023, दिनांक 17-03-2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-361.80 लाख के सापेक्ष **सम्पूर्ण धनराशि रू0-361.80 लाख (रूपये-तीन करोड इकसठ लाख अस्सी हजार मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

## नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2023-24 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के

अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-231/2023, दिनांक 17-03-2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष**:2225027961900 (अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 01 वेतन | 2,00,00,000 ( रुपये दो करोड़ मात्र ) |
| 2 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 02 मजदूरी | 3,50,000 ( रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र ) |
| 3 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 03 मंहगाई भत्ता | 90,00,000 ( रुपये नव्वे लाख मात्र ) |
| 4 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 04 यात्रा व्यय | 3,50,000 ( रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र ) |
| 5 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 50,000 ( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| 6 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 06 अन्य भत्ते | 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 7 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 07 मानदेय | 1,75,000 ( रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र ) |
| 8 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण | 08 कार्यालय व्यय | 1,75,000 ( रुपये एक लाख पचहत्तर हजार मात्र ) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | योजनाएं | | |
| 9 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 09 विद्युत देय | 3,00,000 ( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 10 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 10 जलकर / जल प्रभार | 5,000 ( रुपये पांच हजार मात्र ) |
| 11 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 70,000 ( रुपये सत्तर हजार मात्र ) |
| 12 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| 13 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 13 टेलीफोन पर व्यय | 45,000 ( रुपये पैंतालीस हजार मात्र ) |
| 14 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 15 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1,00,000 ( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 16 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 18 प्रकाशन | 60,000 ( रुपये साठ हजार मात्र ) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 10,000 ( रुपये दस हजार मात्र ) |
| 18 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि | 30,000 ( रुपये तीस हजार मात्र ) |
| 19 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 41 भोजन व्यय | 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार मात्र ) |
| 20 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 42 अन्य व्यय | 50,000 ( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| 21 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 50,000 ( रुपये पचास हजार मात्र ) |
| 22 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 45 अवकाश यात्रा व्यय | 1,50,000 ( रुपये एक लाख पचास हजार मात्र ) |
| 23 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 2,00,000 ( रुपये दो लाख मात्र ) |
| 24 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 8,00,000 ( रुपये आठ लाख मात्र ) |
| 25 | 081 | 2225027961900 | 49 | 4,00,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | चिकित्सा व्यय | ( रुपये चार लाख मात्र ) |
| 26 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 51 वर्दी व्यय | 10,000 ( रुपये दस हजार मात्र ) |
| 27 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 55 मकान किराया भत्ता | 12,00,000 ( रुपये बारह लाख मात्र ) |
| 28 | 081 | 2225027961900 अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनाएं | 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **3,61,80,000 ( रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख अस्सी हजार मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 3,61,80,000 ( रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख अस्सी हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी, 17-Mar-2023 14:39:20
Reason: Approved
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

संख्या-44 /2023/ — /001-1125-26-3-2023-CN-1642641, तद् दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2-प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5-वित्त नियंत्रक समाज कल्या ण उ0प्र0 लखनऊ
6-निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
7-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन